

डिक्री व मुकदमें इत्बाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भंवरलाल बनाम भैरू

दावा बाबत :- 53, 88 188, राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 92/2023

पेश करने की दिनांक - 07.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस) - व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद्ई शांति प्रकाश शर्मा व राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 2463 रकबा 0.13 व 2464 रकबा 0.30 पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 2465/1 रकबा 0.1733 का खातेदार भंवरलाल पुत्र सुखा को खसरा नम्बर 2465/2 रकबा 0.0867 का खातेदार गुमान सिंह पुत्र छोगा को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 8 सन् 2025 को जारी की गयी।



मुददई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

